न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्या: 60 / 18 — निर्णय दिनांक:–
(जीसीएमएस संख्या 2018 / 00534)

1. टीकूराम
2. पन्नाराम | पिसरानम गुलाबाराम जाति नायक निवासी बींझरवाली तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. हेमाराम
2. उमाराम
3. किसनाराम
4. पोकरराम | पुत्रगण खेताराम जाति नायक निवासी बींझरवाली तहसील लूणकरनसर
5. रिधूदेवी पत्नी खेताराम

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 27–12–2017
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थित:–
1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 27–12–2017 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

...स्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि तहसील लूणकरनसर के वाके रोही बींझरवाली के खेत खसरा नम्बर 222 व 223 में व शेष भूमि खसरा नम्बर 224 में निहित है। उक्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मौके व रिकार्ड व वादग्रस्त भूमि के बंटवारें के विपरीत जाकर वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थी के कथनों मात्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट्स के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश विधि विरूद्व तरीके से व राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर पारित किये गये है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर पानी का कुण्ड बना हुआ है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त पानी के कुण्ड को जबरिया हड़पनें व उसके उपयोग व उपभोग से अपीलाट्स को वंचित करते हुए बेदखल करने का प्रयास अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में किया जा रहा है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के तरमीम की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि वादग्रस्त भूमि के संबंध में निर्विवाद तथ्य यह है कि आराजी जैर पर रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विस्तृत विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा कराने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके तहसील लूणकरणसर के ग्राम बींझरवाली के खसरा नम्बर 117 तादादी 21.06

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बीघा, खसरा नम्बर 116 तादादी 33.10 बीघा, खसरा नम्बर 154 तादादी 81.03 बीघा, खसरा नम्बर237 तादादी 5.14 बीघा कुल तादादी 141 बीघा 13 बिस्वा भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खाते की भूमि थी। उक्त भूमि का सभी पक्षों द्वारा अपने-अपने हक व हिस्से की भूमि का कब्जे काश्त के अनुसार आपसी सहमति से घरेलू विभाजन करवा लिया गया था तथा सभी पक्षकार उसी अनुरूप काबिज काश्त है। उक्त विभाजन सहमति से दिनांक 17-12-2008 को किया गया तथा जिसकी पालना में इंतकाल संख्या 911 तस्दीक किया गया। दौराने भू-प्रबन्ध खसरा नम्बर154 के नये खसरा नम्बर 222, 223, 224 व 225 पैमूद हुए। उक्त कार्यवाही मौके की जॉच व कब्जे काश्त के विपरीत किये जाने के फलस्वरूप अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थीगण/अपीलांट्स रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर नाजायज रूप से पानी के कुण्ड का निर्माण कर रहे है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई के उपरान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने पर अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के हितों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वादपत्र में तय होने शेष है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि तहसील लूणकरनसर के ग्राम बींझरवाली के खेत खसरा नम्बर पुराने 154 नये खसरा नम्बर 222 व 223 के बाबत् अपीलांट्स/अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पाबन्द किया गया है, जिसके व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट्स का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को अपीलांट्स के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वेग कारणों से अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा मौके व राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(3) इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि वादग्रस्त भूमि के विभाजन के उपरान्त भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 154 जिसके नये खसरा नम्बर 222 व 223 पैमूद है, का मौके की जॉच किये बिना तरमीम किया गया है, जिसको मुताबिक कब्जा काश्त तरमीम करवाने हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने पर अपीलांट्स/अप्रार्थीगण को वादपत्र के निर्णय तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये है।

(4) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति दावे के निर्णय के तक कायम रखने के आदेश प्रदान गये है।

(5) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि ग्राम बींझरवाली के खेत खसरा नम्बर 154 जिसके नये खसरा नम्बर 222 व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

223 पैमूद हुए है, के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तरमीम किये जाने अथवा नहीं किये जाने का प्रश्न है, उक्त तथ्य का निर्धारण वादपत्र में तय होने है, अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अर्थात प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विवेचन अंकित करते हुए मामलें में और विवाद बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए वादगत् भूमि के संबंध में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए अपीलांट्स/अप्राथीगण को दावे के निर्णय तक पाबन्द किया गया है।

(6) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट्स/रेस्पोडेन्ट्स के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में यदि पक्षकारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से वंचित किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ व मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है, उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है। जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का आदेश दिनांक 27–12–2017 यथावत बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 28/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

28/7/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर